

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन नं० 0612-2219545 (का०)
फैक्स नं०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

10.2.2014

आवेदक श्री राम कुमार सिंह, पिता—स्व० देवनारायण सिंह, सा०—शिवपुरम, रूकुनपुरा, पो०—बी०भी० कॉले, थाना—रूपसपुर, जिला—पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09-172/2011 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/ सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—781/गो०, दिनांक—28.08.2011 द्वारा जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर द्वारा थानाध्यक्ष, रूपसपुर के जाँच प्रतिवेदन में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विशिष्ट कारण का उल्लेख नहीं करने की बात अंकित की गई है, जिसके आलोक में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा नहीं की गयी है। तदोपरान्त अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजा गया है। थानाध्यक्ष, रूपसपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे ठीकदारी एवं व्यवसाय करते हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान—माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कोई विशेष तथ्य प्रतिवेदित नहीं किया गया है। आवेदक को पूर्व से एक रायफल अनुज्ञप्ति सं०—1981/07 प्राप्त है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका—10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा को देखते हुए उन्हें पूर्व में एक एन०पी०बोर रायफल की अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है और उन्हें इसके अतिरिक्त एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री राम कुमार सिंह, पिता—स्व० देवनारायण सिंह, सा०—शिवपुरम, रूकुनपुरा, पो०—बी०भी० कॉले, थाना—रूपसपुर, जिला—पटना के आवेदित एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।